

the general purview of benefits for Adivasis in the country; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA): (a) and (b). The matter was considered by the Joint Committee on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1967, and has submitted its Report to the House on the 17th November, 1969.

भारत में बनी सिगरेटों के पैकेटों पर विदेशों के नाम

- * 766. श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रणजीत सिंह :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग से सिग्रेट बनाने वाली कम्पनियों अपनी सिग्रेटों के पैकेटों पर भारत की बजाय विदेशों के नाम मुद्रित करती हैं ताकि भारतीय उप-भोक्ता उन्हें भूल से आयातित समझें, और इससे भारतीय कम्पनियों को धक्का पहुंचता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में सिग्रेट बनाने वाली सभी कम्पनियों को यह निर्देश देने का है कि वे इस जालसाजी को समाप्त करने की दृष्टि से अपने सिग्रेट पैकेटों पर 'मिड इन इण्डिया' मुद्रित करें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विदेशी सहयोग से सिग्रेटों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों द्वारा

सिग्रेट के पैकेटों पर निर्माण करने वाले देश के गलत नाम छापने में बारे में इस मंत्रालय को कोई शिकायत उपलब्ध नहीं हुई है।

(ख) और (ग). 28 अप्रैल, 1962 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी वस्तुओं पर जिनमें सिग्रेट भी सम्मिलित हैं उनका मूल उत्पादन स्थान दिखाना आवश्यक है। इस अधिसूचना के अनुसार भारत में बने, निर्मित अथवा उत्पादित सिग्रेट पैकेटों पर देश में बिक्री के समय यह अंकित होता है कि यह भारत में बने, निर्मित तथा उत्पादित है।

रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण

* 767. श्री शिव कुमार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विशिष्ट क्षेत्रों के क्या नाम हैं जहां पिछले दो वर्षों के दौरान रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण की घटनाएं हुईं;

(ख) क्या इन घटनाओं में कुछ रेलवे कर्मचारी मारे गए थे; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोबिन्द मंनन) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान सभी रेलों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर, रेल कर्मचारियों पर हमले किये जाने की घटनाएं घटित हुई हैं;

(ख) जी हां।

(ग) रेल परिसर तथा रेल गाड़ियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/राज्य सरकारी रेलवे पुलिस की है। सरकारी रेलवे पुलिस के साथ हर समय निकट समन्वय रखा जाता है और जब गम्भीर अपराध की कोई घटना घटित होती है और किसी क्षेत्र या गाड़ी विशेष में आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, तो